न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 27/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. गोविन्द पुत्र स्व. चावण्डीराम जाति भील, निवासी भील बस्ती, मसूरिया, जोधपुर 2. श्रीमती ऊषा पत्नी गोविन्द जाति भील, निवासी भील बस्ती, मसूरिया, जोधपुर		1. श्रीमती लीला पत्नी चुन्नीलाल पुत्री स्व. केलीदेवी पुत्री स्व. बींजाराम जाति भील, निवासी कडूम्बानाडा, बडलानगर, झंवर, जोधपुर 2. श्रीमती कमली देवी पत्नी हडमानराम पुत्री माता स्व. केलीदेवी पुत्री स्व. बींजाराम जाति भील, निवासी भांडुकलां, तहसील झंवर, जिला जोधपुर 3. श्रीमती तीजी देवी पत्नी दानाराम पुत्री माता स्व. केलीदेवी पुत्री स्व. बींजाराम जाति भील, निवासी कुम्हारों का बास, नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 4. पुखराज माता केलीदेवी पुत्री स्व. बींजाराम 5. बाबुराम माता केलीदेवी पुत्री स्व. बींजाराम 6. बगताराम माता केलीदेवी पुत्री स्व. बींजाराम 7. भंवराराम माता केलीदेवी पुत्री स्व. बींजाराम रेस्पो. संख्या 4 से 7 सभी जातियान भील, निवासीगण भीलों की ढाणियां, लोरडी देजगरां, तहसील व जिला जोधपुर 8. चनणी देवी पत्नी देवाराम 9. बुदीदेवी पुत्री देवाराम 10. सोहनराम पुत्र देवाराम 11. कालुराम पुत्र पुसाराम संरक्षक माता पानकी देवी जाति भील निवासी ग्राम डोली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 12. दिनेश पुत्र पुसाराम 13. पानकी देवी पत्नी पुसाराम 14. भोमाराम पुत्र पुसाराम 15. मलाराम पुत्र पुसाराम 16. मीठुदेवी पुत्री पुसाराम 17. सीमादेवी पुत्री पुसाराम 18. लहरकी पत्नी धन्नाराम 19. शंकर पुत्र धन्नाराम संरक्षक माता लहरकी पत्नी धन्नाराम 20. ईश्वर पुत्र महेन्द्र संरक्षक महेन्द्र पुत्र ओमाराम जाति भील निवासी कडुम्बानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 21. किरण पुत्री ओमाराम संरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 22. धनकी देवी पत्नी ओमाराम 23. पुनकी देवी पुत्री ओमाराम संरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 24. मनीषा देवी पुत्री ओमाराम संरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम

		25. राजू देवी पुत्री ओमाराम संरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 26. श्रवणराम पुत्र ओमाराम संरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 27. श्रीराम पुत्र ओमाराम संरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 28. भूराराम पुत्र तेजाराम 29. मुन्नीदेवी पत्नी तेजाराम 30. राणाराम पुत्र तेजाराम 31. संगीता पुत्री तेजाराम 32. सवाई पुत्र तेजाराम सभी जातियान भील, निवासी ग्राम डोली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 33. राजस्थान राज्य जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नारनाडी, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर 34. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 03 जनवरी 2023 राजस्व अपील संख्या 15/2022 श्रीमती लीला बनाम श्रीमती चनणी देवी

उपस्थित–

1. श्री अमित महेश्वरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
2. श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 3
3. श्री शिवलाल बरवड, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 4 से 7
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 34

निर्णय

दिनांक : 24 अप्रेल 2023

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व अपील संख्या 15/2022 श्रीमती लीला व अन्य बनाम श्रीमती चनणी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्रीमती लीला इत्यादि (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या 1 से 7) ने स्वयं को केलीदेवी पुत्री बींजाराम के वारिसान होना जाहिर करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत कर जाहिर किया कि पूर्व में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 118 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 4.6863 हैक्टर बारानी चारम वाके मौजा नारनाडी उनके नाना स्व. बींजाराम की खातेदारी में दर्ज थी। स्व. बींजाराम के देहान्त के बाद उक्त पुश्तैनी भूमि में

उत्तराधिकार के आधार पर स्व. बींजाराम की पत्नी समदा देवी, पुत्रगण देवाराम, फुसाराम, धन्नाराम तथा पुत्री केलीदेवी के अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित हुए, मगर स्व. बींजाराम के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन संख्या 282 मात्र तीन पुत्रों देवाराम, फुसाराम, धन्नाराम पिसरान बींजाराम के नाम ही स्वीकृत किया गया, जबकि वादग्रस्त आराजी में बींजाराम के जाइन्दा पुत्री होने के आधार पर केलीदेवी का भी समान हक–हिस्सा बनता है। वर्तमान में स्व. बींजाराम की पत्नी समदा देवी तथा पुत्री केलीदेवी का देहान्त हो चुका है। अतः स्व. बींजाराम की खातेदारी भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर केलीदेवी पुत्री बींजाराम के निहित हक–हिस्से बाबत अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। उक्त प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 को स्वीकार कर ली गयी, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने बाबत निवेदन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी के जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख सद्भावी केता एवं रिकार्डेड खातेदार है, जिन्हें मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसार अनिवार्य है। वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट्स के हक–हकूक अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित होते है, अतः अपीलाण्ट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि रेस्पो. संख्या 1 से 7 स्वयं को केलीदेवी का वारिसान होना तथा केलीदेवी को वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. बींजाराम की पुत्री होना जाहिर करते हुए तदनुसार वादग्रस्त आराजी में अपने हक–हकूक निहित होना बताते है। किन्तु इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि रेस्पो. संख्या 1 से 7 की ओर से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर केलीदेवी को वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. बींजाराम की पुत्री होना साबित नहीं किया गया है। इसके अलावा यह भी गौरतलब है कि पक्षकारान एवं स्व. बींजाराम जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 2022(4) डीएनजे 1484 के मामले में अनुसूचित जनजाति की महिला के द्वारा पैतृक सम्पत्ति में हिस्से की मांग अस्वीकार की गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कई तथ्यों को छिपाते हुए प्रथम अपील पेश की गयी है। प्रथम अपील पेश किये जाने के समय मौके पर वर्तमान अपीलाण्ट्स का कब्जा था, वर्तमान अपीलाण्ट्स द्वारा आराजी क्रय करने के बाद कई चकों में विभक्त कर वहां मुटाम भी लगा दिये गये थे और सडके आदि भी निर्मित की जा चुकी थी। मौके पर वर्तमान रेस्पो. का कोई कब्जा ही नहीं था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में सभी आवश्यक पक्षकार संयोजित हुए बिना, वादग्रस्त आराजी से संबंधित नवीनतम राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत हुए बिना, यहॉ

तक की सभी पक्षकारान की तलबी हुए बिना ही अनावश्यक जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि केलीदेवी वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. बींजाराम की पुत्री थी और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुत्रियों का भी पुत्रों के समान हक–हिस्सा होने के आधार पर स्व. बींजाराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी में केलीदेवी का भी अपने भाइयों के समान ही हक–हिस्सा बनता है। मगर फौतेदगी म्युटेशन संख्या 282 दिनांक 26 जून 1980 मात्र स्व. बींजाराम के पुत्रों के नाम ही स्वीकृत किया गया। वर्तमान में श्रीमती केलीदेवी का दिनांक 10 जून 1998 को देहान्त हो चुका है तथा रेस्पो. संख्या 1 से 7 श्रीमती केलीदेवी की संतान होने से उनका वादग्रस्त आराजी में श्रीमती केलीदेवी के हिस्से बाबत विरासतन हक बनता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) में संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। वर्तमान अपील में अपीलाण्ट्स द्वारा उठाये गये आधार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

रेस्पो. संख्या 34 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामलें में अपीलाण्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी रेस्पो. संख्या 8 से 32 को मूल्यवान प्रतिफल देकर विधिवत पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जाना जाहिर करते हुए स्वयं को वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होना जाहिर करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गयी है। जिसका रेस्पो. की ओर से खण्डन नहीं किया जा सका है। अतः इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं किये गये अभिकथनों पर विश्वास करते हुए अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने तथा पक्षकारान की बहस पर मनन करने के उपरान्त यह भी प्रकट होता है कि स्व. बींजाराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्वीकृत फौतेदगी म्युटेशन संख्या 282 दिनांक 26 जून 1980 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील (जिसमें वर्तमान अपीलाण्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया) दर्ज की जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी। जिसमें आदेशिका दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के अनुसार आगामी पेशी वास्ते इन्तजार तलबी/जबाब दिनांक 16 दिसम्बर 2022 नियत की गयी, दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौर पर/अन्य

कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी इल्तवा की जाकर आइन्दा पेशी 20 दिसम्बर 2022 मुकर्रर की गयी और दिनांक 20 दिसम्बर 2022 की पेशी पर अधिवक्ता की बहस सुनी जाना अंकित करते हुए वास्ते आदेश 3 जनवरी 2023 निर्धारित की गयी। इससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी और अनावश्यक जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

रेस्पो. संख्या एक से सात द्वारा अपनी माता श्रीमती केलीदेवी को वादग्रस्त आराजी के स्व. खातेदार बींजाराम की पुत्री होना जाहिर किया गया है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुत्रियों का भी पुत्रों के समान हक–हिस्सा होने के आधार पर स्व. बींजाराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी में केलीदेवी का भी अपने भाइयों के समान ही हक–हिस्सा होना बताते हुए विरासतन अपना हक जताया गया है। किन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय अथवा अदालत हाजा के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 से 7 की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर निर्विवाद रूप से बिना किसी संदेह के श्रीमती केलीदेवी को स्व. बींजाराम की पुत्री होना साबित होता हो। बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के मात्र रेस्पो. संख्या 1 से 7 के कथनानुसार श्रीमती केलीदेवी को स्व. बींजाराम की जाइन्दा पुत्री स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि श्रीमती केलीदेवी को स्व. बींजाराम की जाइन्दा पुत्री स्वीकार कर भी लिया जाता है तो भी यह बिन्दु गौर किये जाने योग्य है कि श्रीमती केलीदेवी, जिसका देहान्त 10 जून 1998 को होना जाहिर किया गया है, द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त फौतेदगी म्युटेशन संख्या 282 दिनांक 26 जून 1980 को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी गयी है। रेस्पो. संख्या एक से सात द्वारा स्वयं को श्रीमती केलीदेवी पुत्री बींजाराम की संतान बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन के खिलाफ करीब 42 साल बाद प्रथम अपील पेश की गयी है, जिसे विलम्ब के समुचित एवं विश्वसनीय कारणों के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्दर मियादशुमार किये जाने पर भी प्रश्नचिन्ह नजर आता है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व खातेदार स्व. बींजाराम एवं पक्षकारान जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। 2022(4) डीएनजे 1484 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति की महिला के द्वारा पैतृक सम्पत्ति में हिस्से के आधार पर याचित अनुतोष प्रदान नहीं किया जाना सही माना है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स के इस तर्क से सहमत है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित नहीं होते है, अतः वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी मानते हुए विरासत के आधार पर रेस्पो. संख्या 1 से 7 को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में, श्रीमती केलीदेवी द्वारा अपने जीवनकाल में फौतेदगी म्युटेशन संख्या 282 के खिलाफ कोई चाराजोई नहीं किये जाने, रेस्पो. संख्या एक से सात की माता श्रीमती केलीदेवी समुचित साक्ष्य के आधार पर स्व. खातेदार बींजाराम की पुत्री साबित नहीं होने, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होने तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील अन्दर मियाद होने बाबत प्रश्नचिन्ह के तथ्यो को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/2023

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर